



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082022-238298
CG-DL-E-23082022-238298

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3762]
No. 3762]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2022/श्रावण 31, 1944
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2022/SHRAVANA 31, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2022

का.आ. 3936(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3942 (अ), तारीख 23 सितम्बर 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 (अब नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52) के 424/300 कि.मी. से 452/800 कि.मी. (औरंगाबाद-धुले सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने, दो/चार लेन बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावृद्ध अनुसूची में दिनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 07 अक्तूबर 2021, को 'सकाळ' (मराठी) दैनिक और 'दि टाइम्स ऑफ इण्डिया' (अंग्रेजी) दैनिक दोनों में प्रकाशित किया गया था।

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए।

और अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार नें निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 के 424.300 कि.मी. से 452.800 कि.मी. तक के भुखंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: धुले			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: धुले				
	गांव का नाम: मोहाडी प्र.ललिंग				
1	114/1	निजी	कृषिक	0.12	अनिल भिवसन पाटिल (शिंदे) ()
	गांव का नाम: शिरुड				
2	680	निजी	कृषिक	0.08	भगवान यादव पाटिल, विकास भगवान पाटिल, मंजुळाबाई अभिमन्यु पाटिल, श्याम अभिमन्यु पाटिल, संगीता राम पाटिल, मयूरी राम पाटिल, कमल हिलाल पाटिल, लता विश्वास पाटिल, सुशीलाबाई कैलास पाटिल, भाऊसाहेब कैलास पाटिल, नरेश कैलास पाटिल, मनीशा किशोर पाटिल, ममता भट्ट पाटिल ()
	गांव का नाम: तरवाडे				
3	248/1	निजी	कृषिक	0.2	किशन भालचंद्र वंजारी ()
4	248/2	निजी	कृषिक	0.2	दिलीप भालचंद्र वंजारी ()

5	248/3	निजी	कृषिक	0.08	भालचंद्र दौलत वंजारी, अनिल मंगू पवार, हिरामण मंगू पवार ()
6	276/1/1P.	निजी	कृषिक	0.15	सोमा गोविंद वडर, साहेबराव महादू वडर ()
			कुल	0.8300	

[फा. सं. NHAI/PIU/AUR/LA/NH-211/AUR-DHULE/2012/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd August, 2022

S.O. 3936(E).—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3942 (E) dated 23rd September 2021, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said Notification for building (widening two/four-laning. etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 211 (Now New National Highway No. 52) on the stretch of land from Km. 424/300 to Km. 452/800 (Aurangabad-Dhule Section) in the district Dhule in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said Notification has been published in Daily “Sakal” (Marathi), and Daily “Times of India” (English) both dated the 07th October 2021, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land acquired, with or without structure, falling within stretch of land for Dhule District from Km. 424/300 to Km. 452/800 (Aurangabad to Dhule Section) of the National Highway No. 211 (Now New National Highway No. 52) in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: DHULE		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Dhule				
	Village: MOHADI PRA.LALING				
1	114/1	Private	Agriculture	0.12	Anil Bhivsan Patil (Shinde)

	Village: Shirud				
2	680	Private	Agriculture	0.08	Bhagwan Yadav Patil, Vikas Bhagwan Patil, Manjulabai Abhimannu Patil, Shyam Abhimannu Patil, Sangita Ram Patil, Mayuri Ram Patil, Kamal Hilal Patil, Lata Vishwas Patil, Sushilabai Kailas Patil, Bhausahab Kailas Patil, Naresh Kailas Patil, Manisha Kishor Patil, Mamta Bhatu Patil
	Village: Tarwade				
3	248/1	Private	Agriculture	0.2	Kishan Bhalchandra Vanjari
4	248/2	Private	Agriculture	0.2	Dilip Bhalchandra Vanjari
5	248/3	Private	Agriculture	0.08	Bhalchandra Daulat Vanjari, Anil Mangu Pawar, Hiranman Mangu Pawar
6	276/1/1P.	Private	Agriculture	0.15	Soma Govind Vadar, Sahebrao Mahadu Vadar
			TOTAL	0.8300	

[F. No. NHAI/PIU/AUR/LA/NH-211/AUR-DHULE/2012/3D]

RAJESH GUPTA, Director